संख्या- 10 /2025/ 516 /003-17-1099-55-2021

प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण कोष फण्ड, 42- अन्य व्यय में से लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय, 42- अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 128/ नि0शा0/2024-25 दिनांक 12 मार्च, 2025 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0- 9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अनुदान 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण कोष फण्ड, 42- अन्य व्यय में से लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय, 42- अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अनुदान 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण कोष फण्ड, 42- अन्य व्यय में से लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय, 42- अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।
(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्ययध् उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित

किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04.03.2024 एवं समय -समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 017 **लेखा शीर्षक** 2405008001300 उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Harish Kumar Ashok
Date: 28-03-2025 15:48:33

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 10 /2025/ 516 /003-17-1099-55-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।